स्टाम्प नं० 340 ... ... मूल्य ...
न्यायालय आदेश दिनांक 13.8.2012 की छाया प्रति

न्यायालय उपजिलाधिकारी, डुमरियागंज--सिद्धार्थनगर।

वाद सं0- 20 /2012

अन्तर्गत धारा–143 उ0प्र0जमी0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम
बावत ग्राम–रठैना, तप्पा–मानपुर,
परगना–रसूलपुर, तहसील–डुमरियागंज,
जिला–सिद्धार्थनगर।

बाबा वलभद्र सहाय इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग बनाम सरकार

निर्णय

उ0प्र0जमी0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा 143 के अन्तर्गत सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री राम प्रबन्धक बाबा वलभद्र सहाय इन्स्टीटयूट ऑफ एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग ग्राम–रठैना ने दिनांक 05.06.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि गाटा सं0–605/0.8300हे0 में से 0.3003हे0 का उक्त संस्थान भूमिधर बकब्जा है, जिसपर संस्थान के भवन का निर्माण कार्य जारी है। उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नही है बल्कि उक्त भूमि का अकृषिक आवासीय व व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। आराजी निजाई पर कृषि या कृषि से सम्बन्धित कार्य नही किया जा रहा है। अन्त में वादी ने उपरोक्त आराजी को लगान मुक्त करते हुए उसे अकृषिक आबादी व व्यावसायिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

तहसीलदार डुमरियागंज से जॉच आख्या तलब की गयी। निश्चित प्रारूप पर तहसीलदार की संस्तुति सहित आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसका अवलोकन किया गया। तहसील से प्राप्त आख्या के मुताबिक आराजी निजाई का वादी भूमिधर बकब्जा है। जिस पर उक्त संस्थान के भवन का निर्माण कार्य हो रहा है, उक्त आराजी में कृषि या कृषि से सम्बन्धित कार्य नही हो रहा है उपरोक्त आराजी मौके पर अकृषिक आबादी के रूप में है जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। गाटा सं0–605/0.8300हे0 पर अंकित अन्य खातेदारान ज्ञान प्रकाश आदि ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर उपरोक्त गाटा सं0 605मि0/0.3003हे0 को अकृषिक आबादी के रूप में अंकित किये जाने के प्रति अपनी लिखित सहमति व्यक्त किया है। पत्रावली पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उपलब्ध नही है। तहसीलदार की संस्तुति सहित आख्या स्वीकार करते हुए आराजी उक्त को अकृषिक/आबादी, व्यावसायिक श्रेणी 6 (2) घोषित किये जाने में कोई वैधानिक त्रुटि नही है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी दिनांक 05.06.2012 स्वीकार करते हुए गाटा सं0–605/0.8300हे0 मे से 0.3003हे0 को अकृषिक, आबादी/व्यावसायिक प्रख्यापित किया जाता है, परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 13.8.2012

(शिवरतन लाल वर्मा)
उपजिलाधिकारी
डुमरियागंज–सिद्धार्थनगर

सत्य प्रतिलिपि

तिथि दाखिला 14-8-2012
तिथि तैयारी 14-8-2012

न्यायालय उपजिलाधिकारी डुमरियागंज
जनपद सिद्धार्थनगर